FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

मिसल नम्बर :– 56/2024 G C M S नम्बर – 2024/.....

प्रार्थना पत्र :–अस्थाई निषेधाज्ञाअन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उनवान

पार्वती आदि बनाम श्यामराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/3/24	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक सारण एडवोकेट द्वारा पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये नोटिस जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 23/4/24 को पेश हो।	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। जकुलाय फरिकेन उपस्थिति, पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं/भ्रमण पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/6/24 को पेश हो।	
24/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। जावाब लगाई गई बार–बार लगाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता दोनो में से कोई उपस्थित नही आया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रद्दीस्तर पर अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	